महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

पत्रांक/शिविर/ 5403-79 /2013–14 दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषय :– **अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षकों–कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन एंव अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत में भी अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षकों को तत्काल मूल विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अभी भी शिक्षकों के अन्यत्र सम्बद्धीकरण न होने की स्थिति अस्पष्ट है, जबकि उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध नहीं रहेगा।

महानिदेशालय द्वारा सभी राज्य, मण्डल एवं जनपदीय स्तरीय अधिकारियों से शिक्षकों के सम्बद्धीकरण न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मांगे गये थे, जिसके क्रम में कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध भी कराये गये हैं। जनपद हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर से अद्यतन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाय।

जनपद स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्रों में पूरे जनपद में सम्बद्धीकरण न होने की जानकारी नहीं दी गई है, किसी जनपद ने केवल प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत तो किसी जनपद ने माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्बद्धीकरण न होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार किसी जनपद से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बद्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा कार्यालयों व विद्यालयों में सम्बद्धीकरण होने के बावजूद भी वास्तविकता को छिपाते हुये सम्बद्धीकरण न होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकों व कर्मचारियों का सम्बद्धीकरण किसी भी प्रकार से मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र किसी भी दशा में न रहे। इस सम्बद्ध में तत्काल सभी अधिकारियों को निर्देशित करें एवं उनसे इस आशय का पुनः प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जनपद एवं मण्डलों से प्राप्त सम्बद्धीकरण न होने

सम्बधी प्रमाण पत्र को अपने पास सुरक्षित रखे एवं विभागीय निदेशक होने के नाते आप इस आशय का प्रमाण पत्र महानिदेशालय को उपलब्ध करायेंगे कि अब माध्यमिक शिक्षा व प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से कोई शिक्षक व कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है। किन्तु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात निदेशालय से लेकर विद्यालय स्तर तक कोई भी शिक्षक–कर्मचारी सम्बद्ध नहीं होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

यदि शासकीय कार्य हेतु किसी शिक्षक व कर्मचारी की अत्यन्त आवश्यकता है तो उसका औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय, जिस पर शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सके। शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने तक किसी भी शिक्षक को सम्बद्ध न रखा जाय।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./शिविर/ 5403-79 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड।
6. परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्राचार्य, डायट/डी.आर.सी., उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एम.आई.एस. को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राधिका झा)
महानिदेशक
o/c विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड